फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मालीराम बनाम मोतीलाल

: 25/24 दर्ज

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली शामिल आदेश 10/1/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 25/2/25 को पेश हो।	तहरीरणारी 97 25/1/25
25/2/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली शामिल आदेश 10/1/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 20/3/25 को पेश हो।	कुरैनात रिपोर्ट प्राप्त 13/02/2025
20/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार जालसू से कुरेनात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उपयुक्त आ.ता. पेशी पर कुरेनात रिपोर्ट पर बहस करें। पत्रावली दिनांक 1/5/25 को पेश हो।	
	~~पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.................. को पेश हो।~~	
1/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता व प्रतिवादी अनुपस्थित है बार-बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं है। वादी ने कुरेनात रिपोर्ट के आधार पर वाद अंतिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया। चूंकि वादी को कुरेनात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है प्रतिवादी अनुपस्थित है अतः वाद मुताबिक कुरेनात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या 44/2023 वाद प्रस्तुति दिनांक : 23.06.2023

मालीराम पुत्र श्री नारायण, जाति जाट, निवासी – ग्राम नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... **वादी**

बनाम

1. गैंदीलाल पुत्र रामेश्वर, उम्र वयस्क, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा कालवाड, जयपुर, जिला जयपुर।
5. बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 01.04.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम नांगल लाडी, पटवार हल्का बिचपडी, भू–अभिलेख राधाकिशनपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 83 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त है तथा विवादग्रस्त भूमि का विधिवत् तकासमा नहीं हो रखा है तथा भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसको वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि विवादग्रस्त को मनबंट से मौके पर बांट रखा है, वादी वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने मनबंट में प्राप्त हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है तथा लगान सरकार में जमा करवाता आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है, तथा राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज है। दिनांक 17.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अजनबी व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आया तथा जमीन की नाप जोख शुरू किया, वादी के पूछने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को धमकी दी कि मनबंट तकासमे को नहीं मानता है तथा वादग्रस्त आराजीयात की अच्छी अच्छी भूमि पर कॉलोनी काटकर छोटे–छोटे भूखण्डों में बेचान करेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तथा वादग्रस्त आराजीयात का तकासमा नहीं करवायेगा। इस कारण वादी को यह वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 14.02.2024 इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई। तदउपरान्त वाद वादी बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम नांगल लाडी, पटवार हल्का बिचपडी, भू–अभिलेख राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 83 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी को कुर्रेजात पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. गैंदीलाल पुत्र रामेश्वर हि. संपूर्ण जाति जाट राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा आमेर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 84/1 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
2. मालीराम पुत्र श्री नारायण हि. संपूर्ण जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा कालवाड के हिस्से खसरा नंबर 83 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या 44/2023 — वाद प्रस्तुति दिनांक : 23.06.2023

मालीराम पुत्र श्री नारायण, जाति जाट, निवासी – ग्राम नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. गैंदीलाल पुत्र रामेश्वर, उम्र वयस्क, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा कालवाड, जयपुर, जिला जयपुर।
5. बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. गैंदीलाल पुत्र रामेश्वर हि. संपूर्ण जाति जाट राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा आमेर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 84/1 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. मालीराम पुत्र श्री नारायण हि. संपूर्ण जाति जाट, सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा कालवाड के हिस्से खसरा नंबर 83 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक डिक्री अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 01.04.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 44/2023
बउनवानी – मालीराम बनाम गैंदीलाल वगै0
निर्णय दिनांक :–01.04.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		श्नर	4 रूपये	
मुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मीजान			मुतफरित		
			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested